न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

प्रा0पत्र	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
64/22	21.03.22	09.01.23

उनवान

1. दुलीचन्द पुत्र घासी
2. खेमचंद पुत्र घासी
3. नरेश पुत्र घासी
4. अनारो बेवा घासी
5. किनारी पुत्र गोरधन
6. मोहन पुत्र गोरधन
7. निरंजन पुत्र गोरधन कोम माली साकिन वार्ड 1 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत पुत्र भोला जाति माली निवासी वार्ड सं0 1 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–असल अप्रार्थी
2. मुन्नी पुत्री घासी
3. रोशन पुत्र घासी
4. गंगाबाई पुत्री गोरधन
5. मनकोरी पुत्र गोरधन
6. सुमौती पुत्री गोरधन
7. कमला पुत्री गोरधन माली निवासी वार्ड 1 खैरथल । :–तर0अप्रार्थीगण
8. श्रीमान तहसीलदार/उप पंजीयक महोदय खैरथल जिला अलवर।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण की ओर से श्री अनिल गुप्ता वकील।
2. अप्रार्थी की ओर से श्री उदयसिंह यादव वकील

09/1/23
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थीगण क एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 21.3.22 से 25.4.22 तक इस अमर का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया गया कि अप्रार्थीगण मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व तरप्रतिवादीगण का कोई 5/32 भाग कब्जे काश्त खातेदारी का नही है। राजस्व कर्मचारियो से कम्प्यूटर की तकनीकी त्रुटि की कारण खाता सं0 606 के समस्त खातेदारान के नाम सहवन से दर्ज हो गया। जिसकी बाबत शुद्वि पत्र सं0 30 दिनांक 23.5.2015 को दर्ज किया गया, जिसके अनुसार जो कम्पूटर की गलती व लापरवाही के कारण समस्त खातेदारन को सहवन से दर्ज हो गया। उसे शुद्व किया जकार मु0 किस्तुरी बेवा पतराम, रामौतार, मोतीलाल, रामकिशोर, सूरजभान पुत्रान पतराम स0भाग 1/2 भा, भोला पुत्र सुक्का हि0 1/2 जाति माली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज किया गया। जिस आराजी के बाबत पूर्व मे एक वाद सं0 131/2005(7/13) बअनुवान मुकदमा भोला मृतक गणपत आदि वादीगण बनाम किस्तुरी मृतक, केलादेवी व अन्य प्रति0 दायर हुआ था जो वाद न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनाक 18.6.2018 को जरिये राजीनामा डिक्री किया गया। जिस डिक्री के मुताबिक ख0नं0 794 रकबा 0.19 हे0, 795 रकबा 0.10 हे0 तन्हा मिन प्रतिवादी के हिस्से में आया है जिस पर मिन प्रतिवादी वक्त डिक्री से उक्त दोनो खसरा नं0 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। तथा विवादित आराजी 803 मे अपने मकानात बना रखे है। शान्ति पूर्वक उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हु। जिसे वादीगण ने विवादित गतल बनाया है। ख0न10 794 व 795 तन्हा मिन प्रतिवादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर मिन प्रतिवादी शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसे मिन प्रतिवादी किसी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा नही कर रहा हूँ वादीगण को कोई अजहद हानि नही हो रही ना ही वादीगण मिन प्रतिवादी को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है वाद वादीगण काबिले खारिज है। सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रवितादीगण है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2067–68 व 2071 व 2074 के अनुसार प्रार्थीगण 5/32 भाग के खातेदार दर्ज है। लेकिन जमाबंदी संवत 2071 से 74 में अप्रार्थीगण द्वारा बिना प्रार्थीगण को सूचना दिये शुद्धि पत्र के द्वारा जमाबंदीयात से प्रार्थीगण का नाम हजफ किया गया है जो पत्रावली मे संलग्न शुद्धि पत्र दिनांक 24.3.15 से साबित है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक न्यायालय हाजा में धोला बनाम किस्तुरी वाद न्यायालय मे

9/1/23

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

निर्णित होना बताया है। लेकिन अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह पता चले की वाद में निर्णय हुआ था। चूंकि प्रार्थीगण साबिक राजस्व रिकार्ड में खातेदार है इसलिए सुविधा का संतुलन एवं प्राईमाफैसा फिलहाल प्रार्थीगण के पक्ष में है।इसलिए हम न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.3.22 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है।

अतः आदेश है किः—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दावा के फैसला होने तक इस अमर से पाबंद किया जाता है वो विवादित आराजी ख0नं0 794 रकबा 0.19 हे0, 795 रकबा 0.10 हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

फैसला आज दिनांक 09.01.23 को मेंरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

9/1/23

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)